R.C.T. No./529/22
State of M.P. V/S satendra aadi

न्यायालयः—भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना, जिला—शिवपुरी (म.प्र.)

Registration No. 529/2022
Filling No. RCT/1198/2022
CNR N0. MP 33060012612022
Filing Date-17-10-2022

पुलिस थाना—बामौरकलां, जिला शिवपुरी के अपराध क्रं.—113/2022 अपराध अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.सं., 1860 से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।	
परिवादी/ अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना **बामौरकलां** जिला शिवपुरी (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	ए.डी.पी.ओ. श्री एच.बी. मीणा।
अभियुक्तगण	1. सतेन्द्र पुत्र धनुआ वंशकार, उम्र 25 वर्ष, 2. श्रीमती मुन्नी पत्नी धनुआ वंशकार, उम्र 45 वर्ष, निवासीगण ग्राम दिदावनी, थाना बामौरकलां, जिला शिवपुरी म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री रविकांत शर्मा।

निर्णय

(आज दिनाँक—24.05.2024 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्तगण पर धारा 324/34 भा.दं.सं.,1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.06.2022 को समय लगभग सुबह 08:00 बजे घटनास्थल स्कूल के पास ग्राम दिदावनी अंतर्गत थाना बामौरकलां में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामकली वंशकार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामकली वंशकार की धारदार आयुध हसिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा राजीनामा शमन आवेदन अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 504, 323/34, 506बी भा.दं.सं.,1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः यह निर्णय अभियुक्तगण के विरूद्ध शेष आरोप अंतर्गत धारा 324/34 भा.दं.सं.,1860 के संबंध में किया जा रहा है।

3. अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामकली ने मय हमराह अपने पति पिन्नाराम वंशकार के उपस्थित थाना आकर जुवानी रिपोर्ट

24/05/24
भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाँधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

लेख करायी कि दिनांक 24.06.2022 को सुबह 08:00 बजे की बात है कि वह गांव में घूम रही थी तभी स्कूल के पास अभियुक्तगण मुन्नी वंशकार व उसका लड़का सतेन्द्र वंशकार मिले और पुरानी रंजिश पर से उसे मां–बहन की बुरी–बुरी गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त सतेन्द्र वंशकार ने उसे पकड़ लिया व मुन्नीबाई ने हसिया से मारा जो उसके दाहिने हाथ के डढ़ा में लगा चोट होकर खून निकल आया। मौके पर हल्के यादव व रामदेवी लोधी ने घटना देखी व बीच–बचाव किया। अभियुक्तगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो इन लोगों ने बचा लिया आईंदा मिली तो जान से खत्म कर देंगे।

4. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बामौरकलां द्वारा थाने के अपराध क्र. 113/22 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.सं.,1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाए गए तथा अन्य आवश्यक अनुसंधान पश्चात् धारा 173(2) दं.प्र.सं.,1973 के अंतर्गत थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत की गयी।

5. अभियुक्तगण ने अपने अभिवाक में पद 01 में वर्णित आरोप अस्वीकार किये हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य प्रकट न होने से द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

6. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न हैं–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.06.2022 को समय लगभग सुबह 08:00 बजे घटनास्थल स्कूल के पास ग्राम दिदावनी अंतर्गत थाना बामौरकलां में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामकली वंशकार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामकली वंशकार की धारदार आयुध हसिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

(2) दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि कोई हो ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. (1) का निराकरण:–

7. प्रकरण में महत्वपूर्ण फरियादी/आहत रामकली वंशकार अ.सा.–1 ने सारतः अभिसाक्ष्य दिया है कि वह आरोपीगण मुन्नीबाई एवं सतेन्द्र को जानती

24/05/24

भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा/पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

है, जो उसके गांव के हैं। आज से करीब 02 वर्ष पहले आरोपीगण से उसका पुरानी रंजिश पर से मुंहबाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बामौरकलां में की थी, जो प्र.पी.–1 है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घ टनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.–2 बनाया था। पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

8. उक्त फरियादी/आहत रामकली वंशकार अ.सा.–1 द्वारा आगे अपने कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण ने उसे हसिया नहीं मारा न ही उसके खून निकला। उक्त साक्षी द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.–1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. –3 को भी पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है।

9. फरियादी/आहत रामकली वंशकार अ.सा.–1 प्रकरण में फरियादी व आहत होकर अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी हैं, परन्तु उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है।

10. फरियादी/आहत रामकली वंशकार अ.सा.–1 द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि फरियादी द्वारा की गयी रिपोर्ट प्र.पी.–1 से भी नहीं होती है। फरियादी/आहत रामकली वंशकार अ.सा.–1 के न्यायालयीन कथनों में प्रबल विरोधाभाष होने तथा घटना से भिन्न कथन करने के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। यह सुस्थापित है कि संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्तगण को ही मिलता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 24.06.2022 को समय लगभग सुबह 08:00 बजे घटनास्थल स्कूल के पास ग्राम दिदावनी अंतर्गत थाना बामौरकलां में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामकली वंशकार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामकली वंशकार की धारदार आयुध हसिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, युक्तियुक्त संदेह से परे **साबित करने में सफल नहीं रहा है।** अतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.दं.सं., 1860 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का हसिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावे।

24/05/24
भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाँधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

R.C.T. No./529/22
State of M.P. V/S satendra aadi

दिनांक– 24.05.2024
स्थान– खनियाधाना।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

(भूपेन्द्र तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाधाना, शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(भूपेन्द्र तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाधाना, शिवपुरी (म.प्र.)

प्ररूप–ङ

अपराध की तारीख	24.06.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	24.06.2022
अभियोग पत्र की तारीख	17.10.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	24.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	24.05.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	24.05.2024
निर्णय की तारीख	24.05.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क– अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 1	रामकली वंशकार	फरियादी/आहत

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क– अभियोजन

क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	नक्शामौका
3	प्रदर्श पी–3	साक्षी रामकली का पुलिस कथन

भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाँधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.